

2021/1558

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”  
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

प्रशासन गाँवों के संग  
अभियान - 2021

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खेडाराजपुरा की  
जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 194  
में उम/वही नाम उम/वही के बजाय उम/वही नाम  
उम/वही के

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

मि. उत

दिनांक:- 25/11/21

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम खेडाराजपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के  
खाता संख्या 194 में प्रार्थी का नाम उम/वही दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न  
उम/वही व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम उम/वही है। जो संशोधित किया  
जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0

उम/वही  
10/12/21

पटवारी

08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर  
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
र रिपोर्ट पटवारी उम/वही व भू0अ0नि0 उम/वही एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर  
ग्राम खेडाराजपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 194 में प्रार्थी का  
नाम उम/वही के बजाय उम/वही किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।


तहसीलदार/नायब तहसीलदार  
डी.के. शाहपुरा (मीलवाड़ा)

पु0न0

1472/21  
13/12/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम खेडाराजपुरा जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता  
संख्या 194 में दर्ज प्रार्थी का नाम उम/वही के स्थान पर उम/वही संशोधन के  
आदेश दिये जाते हैं।



प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (सहायक डी.ओ.)